समाहरणालय, मधेपुरा
(शस्त्र शाखा)
-: आदेश :-

श्री धीरेन्द्र कुमार यादव, पे0 स्व0 उपेन्द्र ना0 मंडल, सा0 मधेपुरा वार्ड नं0-13, थाना+ जिला मधेपुरा को एक एन0पी0बोर रिवाल्वर की अनुज्ञप्ति संख्या-12/2011(मधेपुरा थाना) प्रदत्त है, जिस पर शस्त्र धारित नही किया गया है। इस कार्यालय के ज्ञापांक 70 दिनांक 12-12-2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली 1962 की धारा-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9(ए) के उल्लंघन के लिए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसके आलोक में स्पष्टीकरण आवेदन के साथ मूल अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त हुआ है। इन्होंने लिखित रूप में सूचना दी है कि शस्त्र क्रय करना नहीं चाहते हैं, इसलिए उक्त अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाय।

अतएव श्री यादव द्वारा दी गई लिखित सूचना के आधार पर शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 में निहित प्रावधान के आलोक में इनके नाम से निर्गत एन0पी0बोर रिवाल्वर अनुज्ञप्ति सं0-12/2011(मधेपुरा थाना) को रद्द किया जाता है।

साथ ही शस्त्र दंडाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे कार्यालय में संधारित मूल अनुज्ञप्ति पंजी में उक्त आशय की प्रविष्टि करवाना सुनिश्चित करेंगे एवं अनुज्ञप्ति पुस्त को रद्द कर देंगे।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 85 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 12.03.2014.

प्रतिलिपि : सभी जिला दंडाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/ अनुमंडल दंडाधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा/ थाना अध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। इस आदेश को मधेपुरा जिला के वेबसाईट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

प्रतिलिपि : श्री धीरेन्द्र कुमार यादव पे0 स्व0 उपेन्द्र ना0 मंडल, सा0 मधेपुरा वार्ड नं0-13, थाना+जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

12/03/14
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।